३१/२०१८

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

राज्यसात अपील वाद संख्या – 31/2018

राम इकबाल प्रसाद बनाम् राज्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
06-03-2019		

–: आदेश :–

अभिलेख उपस्थापित। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसंगत् नहीं है। Track No-BR-01GB-7070 में लदा कोयला से संबंधित कागजातों को नजरअन्दाज करते हुए प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा राज्यसात वाद संख्या– 155/2018 राज्य बनाम् ट्रक संख्या– BR-01GB-7070 के स्वामी में दिनांक–30.10.2018 को आदेश पारित को खारिज करते हुए, अपील आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया हैं।

अपीलार्थी द्वारा समर्पित कागजातों एवं निम्न न्यायालय द्वारा अभिलेख राज्यसात वाद सं0–155/2018 राज्य बनाम् ट्रक संख्या– BR-01GB-7070 के स्वामी में दिनांक–30.10.2018 को पारित आदेश एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश, अभिलेख में संलग्न प्राथमिकी एवं जप्ती सूची के अवलोकन से स्पष्ट है कि Track No- BR-01GB-7070 में लदा कोयला से संबंधित कागजात संदिग्ध प्रतित् होता है। विधिवत् प्रक्रिया के तहत् नियमानुसार निम्न न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है, असहमत होने का कोई ठोस आधार नहीं है।

अतः अपीलार्थी द्वारा दायर अपील आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है। इसी मंतव्य के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

164/विधि
07/03/19

लेखापित एवं संशोधित

06/3/19
उपायुक्त,
रामगढ़।

06/3/19
उपायुक्त,
रामगढ़।